क्रम-संख्या–1(ग–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 2 जनवरी, 2024

पौष 12, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या 3999 / छः-पु0-9–2023

लखनऊ, 2 जनवरी, 2024

अधिसूचना

प0आ0–2

चूँकि, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2016) (जिसे आगे ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उप खण्ड (दो) में उपबन्ध है कि किसी इकाई को प्रमाणीकरण करने की अनुज्ञा दी जा सकती है, यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अनुरोध करने वाली इकाई युक्तियुक्त प्रयोजन के लिए प्रमाणीकरण की मांग कर रही है, और उक्त के पश्चात्, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार, को इसे तदनुसार अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा;

और, चूँकि, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र ई0एफ0 संख्या 13(4) / 2020–ईजी–II(वॉल्यूम–IV), दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (दो) के साथ पठित सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 (जिसे आगे ''उक्त नियमावली'' कहा गया है) के नियम 5 के अधीन जन सुविधा पोर्टल पर निवासियों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान किरायेदार या कर्मचारी या घरेलू सहायक के चरित्र सत्यापन, शिकायतों के रजिस्ट्रीकरण और फिल्म की शूटिंग या विरोध प्रदर्शन, हड़ताल पर जाने या किसी कार्यक्रम या जुलूस का आयोजन करने की अनुमति से सम्बन्धित सेवाओं के लिए हाँ / नहीं, और / या ई–केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके स्वैच्छिक आधार पर निवासियों के आधार प्रमाणीकरण हेतु अधिसूचित करने के प्राधिकार से अवगत कराया है।

अतएव, अब, उक्त नियमावली के नियम 5 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश तकनीकी सेवायें, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को जन सुविधा पोर्टल पर निवासियों के रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के दौरान किरायेदार या कर्मचारी या घरेलू सहायक के चरित्र सत्यापन, शिकायतों के रजिस्ट्रीकरण और फिल्म की शूटिंग या विरोध प्रदर्शन, हड़ताल पर जाने या किसी कार्यक्रम या जुलूस का आयोजन करने की अनुमति से सम्बन्धित सेवाओं के लिए हाँ/नहीं, और/या ई–केवाइसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करके स्वैच्छिक आधार पर निवासियों के आधार प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिये अनुज्ञा प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,
संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

———

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3999/VI-Pu-9–2023, dated January 2, 2024 :

No. 3999/VI-Pu-9–2023

Dated Lucknow, January 2, 2024

WHEREAS, sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. 18 of 2016) (hereinafter referred as the "said Act"), provides that an entity may be allowed to perform authentication, if the Authority is satisfied that the requesting entity is seeking authentication for reasonable purpose, and thereafter, the State Government may be authorized by the Central Government to notify the same accordingly;

AND, WHEREAS, the Government of India *vide* its letter eF No. 13(4)/2020-EG-II(Vol-IV), dated December 13, 2022, has conveyed the authorization by the Central Government for the Home Department of the Government of Uttar Pradesh to notify under rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred as the "said rules") *read* with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the said Act, performance of Aadhaar authentication of residents, on a voluntary basis, using Yes/No, and/or e-KYC authentication facility, for services relating to the verification of character of tenant or employee or domestic help, the registration of complaints, and the permission for shooting a film or going on a protest, strike or organizing and event or a procession, during the process of registration of the residents on the citizen services portal;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under rule 5 of the said rules the Governor is pleased to allow Uttar Pradesh Technical Services, Home Department, Government of Uttar Pradesh to seek Aadhaar Authentication of residents, on a voluntary basis, using Yes/No, and/or e-KYC authentication facility, for services relating to the verification of character of tenant or employee or domestic help, the registration of complaints, and the permission for shooting a film or going on a protest, strike or organizing an event or a procession, during the process of registration of the residents on the citizen services portal.

By order,
SANJAY PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 915 राजपत्र–2024–(2636)–599+50=649 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।